

डिक्री

(आ० २० नियम ६ / जा० १००)

अज अदालत सपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला मीलवाडा राजस्थान
वईजलास श्री सुश्री रजनी भार्गीवाल (आ० १००/१००)

अनदान प्रकरण

श्री रामपाल ज० श्री पन्ना माली निवासी मालीखेडा (सुरास) त० माण्डल

वद

बनाम

- श्री लोही ज० श्री पन्ना माली निवासी मालीखेडा (सुरास) तहसील-माण्डल
- राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार माण्डल जिला - मीलवाडा (रा०)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा ५३-५५, नुकदमा न० / वर्ष १५/१५, निर्णय दिनांक २३-८-१८

यह नुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी बकाल प्रादी
मिनजानिय नुददई व सवल कुमार शर्मा Advs कमलानिद नुदायला पेश होकर हुकम
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम मालीखेडा
(सुरास) पटवार ब्लका सुरास तहसील मांडल में स्थित निम्नलिखित आराजियात वाली
ऐप उतिवादी के नाम दर्ज की जावे।

१. रामलाल पिता पन्ना माली सा. देवरातेसर २. लोही पिता पन्ना माली सा. देवरातेसर

आरजी नं.	रकबा	आरजी नं.	रकबा
५३७/१२९	०.०५	१५३	०.१८
१५१	१.०५	१५१	०.१०
किता ०२	१.०९ बीगा	किता ०२ रकबा १.०८ बीगा	

उक्तानुसार करमि वाली ऐप उतिवादी के नाम तहसीलदार माण्डल राजस्व बिकई में दर्ज करे।
रकबा करि केव अपना-अपना पहम करे।

आज तारीख २३-८-१८ को मेर इस्काकत एव न्यायालय की मोहर उ जरा की गई।

॥॥॥

सुपरीकर अदालत
माण्डल जिला - मीलवाडा